मुख्य सचिव महोदय

की

अध्यक्षता मे आहूत बैठक

दिनाँक – 06 अगस्त, 2024

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश

हर घर तिरंगा अभियान 2024

शासनादेश संख्या 278/2024/2162/चार-2024 दिनांक 31 जुलाई 2024 द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश निर्गत किए गए हैं।

उद्देश्य

- प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना
- राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से परिचित करना
- स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव उजागर करना
- राष्ट्र के प्रति दायित्वबोध का भाव उत्पन्न करना

उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान : विगत वर्षों की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2022 एवं 2023 में हर घर तिरंगा अभियान के अंर्तगत संपूर्ण देश उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक झण्डे फहराये
- विगत दोनों वर्षों के अभियानों में प्रत्येक वर्ष 4.5 करोड़ से अधिक झण्डे फहराये गये
- प्रदेश के नागरिकों द्वारा सेल्फ़ी अपलोड अभियान में उत्साह पूर्वक भाग लेते हुए सर्वाधिक सेल्फ़ी अपलोड की गई।

	हर घर तिरंगा 2024: लक्ष्य			
ज़िले का नाम	कुल आवास	अन्य प्रतिष्ठानों की संख्या	कुल आवास/भवन (3+4) का योग	हर घर तिरंगा: 2024 में फहराए जाने वाले झंडों का लक्ष्य (कालम 5 से 10% से अधिक) (लाख में)
2	3	4	5	6
Agra	940576	4516	945092	10.4
Aligarh	891919	62400	954319	10.5
Ambedkar Nagar	422742	19258	442000	4.9
Amethi (Chatrapati Sahuji Mahraj Nagar)	409227	8993	418220	4.6
Amroha (J.P. Nagar)	480000	9024	489024	5.4
Auraiya	292000	7252	299252	3.3
Ayodhya	471099	36901	508000	5.6
Azamgarh	798000	11578	809578	8.9
Baghpat	252000	6172	258172	2.8
Bahraich	693047	1953	695000	7.6
Ballia	632000	17253	649253	7.1
Balrampur	453000	37000	490000	5.4
Banda	537407	3093	540500	5.9
Barabanki	530000	22236	552236	6.1
Bareilly	908000	32084	940084	10.3

Basti	440000	12387	452387	5.0
Bhadohi	420000	3597	423597	4.7
Bijnor	830000	14400	844400	9.3
Budaun	620000	1103	621103	6.8
Bulandshahr	625000	76925	701925	7.7
Chandauli	389000	2215	391215	4.3
Chitrakoot	200000	14020	214020	2.4
Deoria	584650	44750	629400	6.9
Etah	349011	2989	352000	3.9
Etawah	424726	15174	439900	4.8
Farrukhabad	310000	16261	326261	3.6
Fatehpur	587142	30121	617263	6.8
Firozabad	378824	3821	382645	4.2
Gautam Buddha Nagar	250000	29133	279133	3.1
Ghaziabad	850000	58437	908437	10.0
Ghazipur	870000	1671	871671	9.6
Gonda	540000	95488	635488	7.0
Gorakhpur	776000	56000	832000	9.2
Hamirpur	234179	11821	246000	2.7
Hapur (Panchsheel Nagar)	292494	184506	477000	5.2
Hardoi	958380	138620	1097000	12.1
Hathras	496902	83790	580692	6.4
Jalaun	540161	6839	547000	6.0
Jaunpur	743000	17653	760653	8.4
Jhansi	443072	99928	543000	6.0
Kannauj	307543	29457	337000	3.7
Kanpur Dehat	360000	36432	396432	4.4
Kanpur Nagar	1085000	173515	1258515	13.8
Kanshiram Nagar (Kasganj)	185000	2568	187568	2.1
Kaushambi	302000	7515	309515	3.4
Kushinagar (Padrauna)	667032	26385	693417	7.6

Lakhimpur - Kheri	694000	16986	710986	7.8
Lalitpur	417943	69002	486945	5.4
Lucknow	373600	31245	404845	4.5
Maharajganj	330000	205000	535000	5.9
Mahoba	160000	31000	191000	2.1
Mainpuri	310000	67000	377000	4.1
Mathura	564868	50079	614947	6.8
Mau	389000	10967	399967	4.4
Meerut	658800	37974	696774	7.7
Mirzapur	463388	10612	474000	5.2
Moradabad	710000	198026	908026	10.0
Muzaffarnagar	620000	170877	790877	8.7
Pilibhit	360000	6092	366092	4.0
Pratapgarh	443000	7698	450698	5.0
Prayagraj	1080000	8400	1088400	12.0
RaeBareli	700688	104812	805500	8.9
Rampur	392000	32800	424800	4.7
Saharanpur	681925	35075	717000	7.9
Sambhal (Bhim Nagar)	394482	73518	468000	5.1
Sant Kabir Nagar	304480	4520	309000	3.4
Shahjahanpur	617771	19219	636990	7.0
Shamali (Prabuddh Nagar)	385000	5337	390337	4.3
Shravasti	222297	3703	226000	2.5
Siddharth Nagar	455000	6667	461667	5.1
Sitapur	1040000	54790	1094790	12.0
Sonbhadra	322797	61753	384550	4.2
Sultanpur	687042	6425	693467	7.6
Unnao	590000	14390	604390	6.6
Varanasi	738000	70608	808608	8.9
	39876217	2991813	42868028	477.5

झण्डों का निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों द्वारा 2 करोड़ झण्डों का निर्माण

शहरी क्षेत्रों में

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 50 लाख झण्डों की आपूर्ति
- राज्य हथकरघा निगम एवं खादी ग्रामोद्योग के द्वारा राशन की दुकानों/पेट्रोल पम्पों/घरेलू गैस विक्रय केन्द्रों/ग्राम पंचायत भवनों/तहसील/विकास खण्ड कार्यालयों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों /जनसुविधा केन्द्रों आदि में बिक्री हेतु झण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी
- क्रय हेतु झण्डों की उपलब्धता के संबंध में सूचना विभाग के माध्यम से होर्डिंग स्टेंडी आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार- प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

1. झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।
2. इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का **अनुपात 3:2** होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।
3. झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।
4. झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।
5. सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

झण्डारोहण

1. दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक आमजनमानस को अपने-अपने घरों, कार्यालयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/शैक्षणिक प्रतिष्ठानों/ऑगनबाड़ी केन्द्रों/अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में एफ0एम0/रेडियो चैनल/स्थानीय केबिल नेटवर्क/प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया/टोल प्लाजा/बस स्टेशनों/मेट्रो स्टेशनों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार कर झण्डा फहराने हेतु प्रेरित किया जाए।

2. समस्त विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय समितियों के साथ बैठक कर तिरंगा अपने प्रतिष्ठानों में सी0एस0आर0 संसाधनों के माध्यम से क्रय कर फहराये जाए।

3. समस्त सरकारी कार्यालय/शिक्षण संस्थान खादी से निर्मित ध्वज का ही आरोहण करेंगे।

4. मा0 जनप्रतिनिधिगण के साथ भी पृथक से बैठक कर उन्हें कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दे दी जाये।

झण्डारोहण

- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य झण्डा गीत, राष्ट्रीय गीतों के साथ ही साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में सूचनाओं का प्रसारण होता रहे।

बैंड वादन

- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 के मध्य गृह विभाग द्वारा शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन के साथ पुलिस/पी0ए0सी0 बैण्ड का वादन किया जाए।

सरकारी भवनों का प्रकाशमान किया जाना

- दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक समस्त सरकारी भवनों पर तिरंगा लाइटिंग करायी जाए।

सफ़ाई अभियान

- नगर विकास विभाग एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समस्त स्थलों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं साइनेज भी लगवाये जाए।

झण्डा फहराने के नियम

हर घर तिरंगा

1. प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।

2. झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

3. झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।

4. दिनांक 13 से 15 अगस्त, 2024 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।

5. झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6. विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7. हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान के कार्यान्वयन हेतु समस्त जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
पुलिस आयुक्त द्वारा नामित पुलिस उपायुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद	सदस्य
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
जिला विकास अधिकारी	सदस्य
जिला प्रोबेशन अधिकारी	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
उप निदेशक/जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
उपनिदेशक पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटक अधिकारी	सदस्य
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	सदस्य
कार्यक्रम अधिकारी)एकीकृत बाल विकास योजना(	सदस्य
जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य
परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण	सदस्य
प्राचार्य, आई0टी0आई0	सदस्य
जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
जिला समन्वयक, नेहरु युवा केन्द्र	सदस्य
समन्वयक -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	सदस्य
समन्वयक, नागरिक सुरक्षा संगठन	सदस्य
एन0सी0सी0 के अधिकारी/एन0एस0एस0 के समन्वयक	सदस्य
जिलाधिकारी द्वारा नामित उद्योग मण्डलों/व्यापार मण्डलों के प्रतिनिधिगण	सदस्य
जिला पंचायतीराज अधिकारी	सदस्य सचिव

हर घर तिरंगा अभियान : महत्वपूर्ण कार्यक्रम

तिरंगा यात्रा

तिरंगा रैली

तिरंगा दौड़

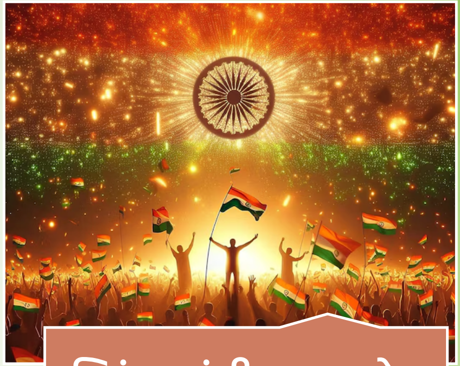

तिरंगा संगीत समारोह

तिरंगा कैनवास

तिरंगा प्रण

तिरंगा सेल्फ़ी

तिरंगा कृतज्ञता

तिरंगा मेला

मुख्य अयवय

तिरंगा यात्राएँ	▪ तिरंगा यात्राएँ हर घर तिरंगा आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा हैं। ▪ राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना लाते हुए, राष्ट्रीय ध्वज का जश्न मनाने और उसका सम्मान करने के लिए सभी आयुवर्ग के नागरिक यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ▪ जिला स्तरीय तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी।
तिरंगा रैली	▪ स्थानीय स्तर पर तिरंगे की भावना को समर्पित बाइक, साइकिल और कार रैलियां आयोजित की जाएंगी ▪ विभिन्न समूहों, युवा स्वयंसेवकों, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों की सक्रिय भागीदारी।
तिरंगा दौड़ और मैराथन	▪ तिरंगा दौड़ और मैराथन ▪ स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा की भावना को समर्पित दौड़ और मैराथन आयोजित की जाएंगी, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज के मूल्यों का जश्न मनाया जाएगा। ▪ सभी क्षेत्रों के लोगों को इसमें शामिल होने और उस ध्वज का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। ▪ खेल और फिटनेस व्लॉगर्स को भाग लेने और व्लॉग बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ▪ राज्यस्तरीय बड़ी दौड़/मैराथन इवेंट का आयोजन

मुख्य अयवय

तिरंगा संगीत कार्यक्रम	▪ देशभक्ति पूर्ण संगीत कार्यक्रम का आयोजन ▪ इन कार्यक्रमों में संस्कृति मंत्रालय का तिरंगा गान भी बजाया जाएगा। ▪ इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्सवी माहौल बनाना और संगीत के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाना है। ▪ संगीत कार्यक्रम के साथ एक बड़ा कार्यक्रम। ▪ तिरंगा गान हर घर तिरंगा वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
तिरंगा कैनवस	▪ आयोजन स्थलों पर तिरंगा कैनवस लगाए जाएंगे, जहां लोग किसी भी भारतीय भाषा में “हर घर तिरंगा” या “जय हिंद” लिख सकेंगे। ▪ प्रत्येक कैनवस को राष्ट्रीय ध्वज (3:2) के समान अनुपात में डिज़ाइन किया गया है। ▪ तिरंगा कैनवस के लिए संदर्भ डिज़ाइन टेम्प्लेट हर घर तिरंगा वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।
तिरंगा प्रतिज्ञा	▪ तिरंगा प्रतिज्ञा सभी कार्यक्रमों का हिस्सा होगी, जो लोगों को झंडे के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ▪ पिछले अभियानों से शिलाफलकम के पास सामुदायिक सफाई और प्रतिज्ञा लेने की गतिविधियाँ आयोजित की जाएँगी, जिससे तिरंगे की भावना को बल मिलेगा। ▪ तिरंगा प्रतिज्ञा हर घर तिरंगा वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी।

मुख्य अयवय

तिरंगा सेल्फ़ी	▪ प्रतिभागियों को झंडा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेने और उन्हें हर घर तिरंगा वेबसाइट (harghartiranga.com) पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। ▪ प्रमाण पत्र #HarGharTiranga और #HGT2024 के साथ सोशल मीडिया पर साझा किए जा सकते हैं।
तिरंगा कृतज्ञता	▪ कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से स्थानीय कार्यक्रमों में वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके परिवारों को याद किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा और उनका अभिनंदन किया जाएगा।
तिरंगा मेला	▪ तिरंगा मेला स्थानीय कारीगरों को सहयोग देगा और उत्सव के माहौल को और भी बेहतर बनाएगा। ▪ आयोजन स्थलों के आसपास झंडे, सामान और खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे जीवंत और उत्सवी माहौल बनेगा।

दिनांक 9 अगस्त से समस्त सरकारी/अर्धसरकारी विभागों के वेबसाइट/सोशल मीडिया हैंडल्स पर हर घर तिरंगा अभियान से संबंधित ग्राफ़िक्स एवं प्रचार सामग्री प्रदर्शित की जाए एवं नागरिकों को तिरंगा की प्रोफाइल पिक्चर लगाने हेतु प्रेरित किया जाये।

धन्यवाद